	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 123/2022 बअनवान मोहनलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.08.2023		

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांकः–07.08.2023

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी
2. रेस्पोडेंटस संख्या 01 की तरफ से अधिवक्ता श्री हरीराम चौधरी
3. रेस्पोडेंटस संख्या 02 की तरफ से अधिवक्ता श्री तखतसिंह नामा

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष की विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है उक्त वाद पत्र में अपीलकर्तागण की ओर से पैरोकारी हेतु वकील श्री गोविन्दपुरी जी को नियुक्त कर रखा था, श्री गोविन्दपुरी जी से हम अपीलकर्तागण हर समय पैरोकारी के समय मिलते तो हर बार यही जबाव दिया कि आवश्यकता होने पर उन्हें बुला दिया जाएगा, प्रकरण में रेकर्ड तलब किया हुआ है। तदोपरान्त अपीलकर्तागण के वकील श्री गोविन्दपुरी जी का देहान्त हो गया, तब अपीलकर्तागण ने श्री गोविन्दपुरी जी के घर जाकर उक्त मुकदमे की पत्रावली मांगी तो अपीलकर्तागण को कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं करवाई, जिस पर इधर उधर पुछताछ की तो अपीलकर्तागण को पता चला कि उनका मुकदमा अदम पैरवी में खारिज किये वाद पत्र को पुनःबरामद करने हेतु आवेदन पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध जाकर खारिज किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेंटस संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस स्वयं को सजग रह कर प्रकरण में पैरवी करनी चाहिए थी जो नहीं की गई। माननीय न्यायालय द्वारा अपीलांटस को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सुनवाई का अवसर दिया जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पोडेंटस संख्या 02 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस की अपील को स्वीकार किया जाता है तो मुझें कोई आपति नहीं है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश मूल वाद संख्या 24/1977 जो दिनांक 31.10.2003 को खारिज किया गया। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश आवेदन पुनः बरामद करने के साथ आदेश दिनांक 31.10.2003 की प्रमाणित प्रतिलिपित पेश नहीं है। अपीलांटस अपीलाधीन आराजी के खातेदार नहीं है। वर्तमान में अपीलाधीन आराजी नगरपरिषद बालोतरा के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार पचपदरा द्वारा पेश जबाव में स्पष्ट वर्णित है कि प्रार्थी मोहनलाल स्वयं द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र के अनुसार अपीलांटस की खातेदारी को निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 491/2017 बअनवान मोहनलाल वगैरा बनाम राजस्थान सरकार वगैरा में पारित आदेश दिनांक 31.05.2022 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश दिनांक 07.08.2023 को सुनाया गया।

(प्रदीप पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर